N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0267 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/10/2025 19:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 08/10/2025 | Date To (दिनांक तक): 09/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 5 | Time From (समय से): 17:00 बजे | Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/10/2025 | Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/10/2025 19:24:16 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 105 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): RIYAN TIRAHA,PADUKALAN PAR, SITHAT CHAAY KI HOTAL KE PASS

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): BALDEV RAM

(b) Father's Name (पिता का नाम): HUKMARAM JAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JATO KA BAAS,THAL, RIYANBARI, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JATO KA BAAS,THAL, RIYANBARI, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUKHRAM		पिता:AADURAM	1. TALNPUR RAMDAWARA BAAS,MERTA CITY,GOTAN,NAGAUR,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर, विषय - रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने बाबत। महोदय जी, नम्र निवेदन है कि मैं बलदेव राम पुत्र श्री हुकमाराम जाति जाट, निवासी थाट, तहसिल रियांबड़ी, जिला नागौर बात इस प्रकार है कि मैंने दिनांक 16.05.2025 को पुलिस थाना पादू कलां, जिला नागौर उपस्थित होकर मेरी कैम्पर गाड़ी जिसके नम्बर RJ 21GC 3668 की अमानत में खयानत अर्थात 420 की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जिसके प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 115/2025 है। जिसकी जांच ASI सुखराम को दी गई, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ASI सुखराम से मैं मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरी कैम्पर गाडी मैं ला दूंगा, तीन लाख रूपय लूंगा तो मैंने बोला पैसे आपको देने हैं क्या, तो ASI सुखराम बोला नहीं, मेरे करीबी आदमी है नेमाराम जी पादू खुर्द के पूर्व सरपंच उनसे आप मिल लेना, उसके बाद मैं 4-5 दिन बाद नेमाराम पूर्व सरपंच पादू खुर्द के घर गया तो उन्होंने दो लाख रूपये मेरे से ले लिये और कहा कि एक लाख रूपये गाड़ी बरामद होने के बाद देने पड़ेगे। तो मैं वहां से हाथ जोड़कर निकल गया। फिर इस बात को दो महिने बीत गए पर मेरे द्वारा दर्ज करवायी गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर एक दिन मैं थाने गया तो सुखराम ASI ने बोला कल तेरी कैम्पर गाड़ी लेने जा रहे है थोड़ा खर्चा-पानी के 50 हजार दो। फिर मुझे एक आदमी की ओर ईशारा किया कि इसको 50 हजार रू दे दो तो मैंने उस अज्ञात आदमी को ASI के कहने पर 50 हजार रूपये दे दिये। उसके 2-3 दिन बाद मैं वापस थाने गया तो पता चला कि कैम्पर गाड़ी बरामद नहीं हुई, तो मैं ASI सुखराम से मिला तो उन्होंने बोला मैं कही जा रहा हूं। कुछ दिन बाद आना तेरी गाड़ी लेके आयेगें। फिर मैं निराश होकर घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कोर्ट से मेरे द्वारा करवायी गई रिपोर्ट में जो मुलजिम है उसकी मां ने छेड़छाड़ जैसी धाराओं का मुकदमा करवाया है। तो मैं पता करने पुलिस थाने पहुंचा तो वहां पर ASI सुखाराम जी मिले और बोले कि तेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच मेरे पास ही है, यह सुनकर मैं वापस घर चला गया। फिर कुछ दिन पहले ASI सुखाराम जी मेरे से मिले और बोले तेरे द्वारा दर्ज करवायी गई रिपोर्ट में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, और एक दो दिन में तेरी गाड़ी ले आयेगे, यह सुनकर मैं घर चला गया। फिर दो दिन बाद मुझे पता चला कि पुलिस ने मुलजिम को छोड़ दिया है और मेरी कैम्पर गाड़ी थाने में पड़ी है जिसकी जानकारी पर मैं थाने गया तो कैम्पर पड़ी थी, मैंने उसकी फोटो मेरे फोन में खिंच ली। अतः फिर तिन-चार दिन पहले सुखराम जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हो रखी है उसमें तुझे जेल जाना पड़ेगा, यदि जेल नहीं जाना है तो 50 हजार रूपये लगेंगे, उस मुकदमें में FR दे दूंगा। अतः मेरे खिलाफ हो रखी रिपोर्ट पर FR देने की अवैज में सुखराम द्वारा 50 हजार कि रिष्वत मांग कि है इसलिए मैं ASI को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। भवदीय एसडी बलदेवराम मो0 नं0 [redacted] Addsp ACB नागौर Take Legal Action SD श्रीमान महावीर सिंह राणावत, पुलिस अधीक्षक, एसीबी रेंज अजमेर 08.10.25 ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एसडी कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर 09.10.25कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौरनिवेदन है कि दिनांक 08.10.2025 को वक्त 05.00 पी.एम. पर श्रीमान महावीर सिंह राणावत, पुलिस अधीक्षक एसीबी रेंज अजमेर द्वारा जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस कल्पना सोलंकी, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर कैम्प अजमेर को अपने कार्यालय में बुलाकर परिवादी श्री बलदेव राम द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत सुदा लिखित रिपोर्ट विधि सम्मत अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर उपस्थित परिवादी श्री बलदेव राम से परिचय करवाकर निर्देशित किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि "मैं बलदेव राम पुत्र श्री हुकमाराम जाति जाट, निवासी थाट, तहसिल रियांबड़ी, जिला नागौर, बात इस प्रकार है कि मैंने दिनांक 16.05.2025 को पुलिस थाना पादू कलां, जिला नागौर उपस्थित होकर मेरी कैम्पर गाड़ी जिसके नम्बर RJ 21GC 3668 की अमानत में खयानत अर्थात 420 की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जिसके प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 115/2025 है। जिसकी जांच ASI सुखराम को दी गई, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ASI सुखराम से मैं मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरी कैम्पर गाड़ी मैं ला दूंगा, तीन लाख रूपय लूंगा तो मैंने बोला पैसे आपको देने हैं क्या, तो ASI सुखराम बोला नहीं, मेरे करीबी आदमी है नेमाराम जी पादू खुर्द के पूर्व सरपंच उनसे आप मिल लेना, उसके बाद मैं 4-5 दिन बाद नेमाराम पूर्व सरपंच पादू खुर्द के घर गया तो उन्होंने दो लाख रूपये मेरे से ले लिये और कहा कि एक लाख रूपये गाड़ी बरामद होने के बाद देने पड़ेगे। तो मैं वहां से हाथ जोड़कर निकल गया। फिर इस बात को दो महिने बीत गए पर मेरे द्वारा दर्ज करवायी गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर एक दिन मैं थाने गया तो सुखराम ASI ने बोला कल तेरी

कैम्पर गाड़ी लेने जा रहे है थोड़ा खर्चा-पानी के 50 हजार दो। फिर मुझे एक आदमी की ओर ईशारा किया कि इसको 50 हजार रू दे दो तो मैंने उस अज्ञात आदमी को ASI के कहने पर 50 हजार रूपये दे दिये। उसके 2-3 दिन बाद मैं वापस थाने गया तो पता चला कि कैम्पर गाड़ी बरामद नहीं हुई, तो मैं ASI सुखराम से मिला तो उन्होंने बोला मैं कही जा रहा हूं। कुछ दिन बाद आना तेरी गाड़ी लेके आयेगें। फिर मैं निराश होकर घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कोर्ट से मेरे द्वारा करवायी गई रिपोर्ट में जो मुलजिम है उसकी मां ने छेड़छाड़ जैसी धाराओं का मुकदमा करवाया है। तो मैं पता करने पुलिस थाने पहुंचा तो वहां पर ASI सुखाराम जी मिले और बोले कि तेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच मेरे पास ही है, यह सुनकर मैं वापस घर चला गया। फिर कुछ दिन पहले ASI सुखाराम जी मेरे से मिले और बोले तेरे द्वारा दर्ज करवायी गई रिपोर्ट में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, और एक दो दिन में तेरी गाड़ी ले आयेगें, यह सुनकर मैं घर चला गया। फिर दो दिन बाद मुझे पता चला कि पुलिस ने मुलजिम को छोड़ दिया है और मेरी कैम्पर गाड़ी थाने में पड़ी है जिसकी जानकारी पर मैं थाने गया तो कैम्पर पड़ी थी, मैंने उसकी फोटो मेरे फोन में खिंच ली। अतः फिर तिन-चार दिन पहले सुखराम जी से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हो रखी है उसमें तुझे जेल जाना पड़ेगा, यदि जेल नहीं जाना है तो 50 हजार रूपये लगेंगे, उस मुकदमें में FR दे दूंगा। अतः मेरे खिलाफ हो रखी रिपोर्ट पर FR देने की अवैज में सुखराम द्वारा 50 हजार कि रिश्वत मांग कि है इसलिए मैं ASI को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं।"

जिस पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी श्री बलदेव राम से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं ग्राम थाट का निवासी हूं। पुलिस थाना पादू कलां के एएसआई श्री सुखराम जी मेरे द्वारा दर्ज मुकदमें में मुलजिम को गिरफ्तार कर मेरी कैम्पर गाड़ी रिलीज करने व मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमें में एफआर लगाने की एवज में 50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं पहले भी कई बार पूर्व सरपंच श्री नेमाराम के मार्फत ए.एस.आई. को 2,70,000/- रूपये रिश्वत राशि दे चुका हूं। पूर्व सरपंच श्री नेमाराम ए.एस.आई. सुखराम के लिए दलाली का कार्य करता है। मेरा श्री सुखराम एएसआई से कोई उधार का लेन-देन नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। मैं मेरे जायज काम के बदले अब और रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कार्यालय एसीबी चौकी नागौर से श्री प्रेमाराम कानि0 को जरिये मोबाईल परिवादी के नाम पते व मोबाईल नम्बर से अवगत करवाया जाकर कार्यालय आलमारी में से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर मय नया मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर पादूकलां पहुंचकर परिवादी को आवश्यक समझाईश कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के साथ जाने की हिदायत की गई तथा परिवादी को एसीबी की कार्यप्रणाली समझाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ही एसीबी चौकी नागौर से कानि0 पहुंचने का आश्वासन दिया जाकर परिवादी को पादू कलां पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 09.15 पी.एम. पर श्री प्रेमाराम कानि0 ने जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। आरोपी द्वारा परिवादी से 50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर सामर्थ्यानुसार देने हेतु कहा है। जिस पर परिवादी श्री बलदेवराम से वार्ता करवायी तो परिवादी ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में बताया कि मैं सुबह 30,000/- रूपये रिश्वत राशि की ही व्यवस्था कर पाउंगा तथा परिवादी ने खेत की रखवाली में व्यस्त होने के कारण नागौर चौकी आने में असमर्थता जाहिर की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कल दिनांक 09.10.2025 को समय 01.00 पी.एम. पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000 रूपये की व्यवस्था कर डोडियाना चौराहे पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई एवं श्री प्रेमाराम कानि0 को चौकी नागौर पर उपस्थित होने की हिदायत की गई। श्री प्रेमाराम कानि0 दिनांक 09.10.2025 को वक्त 04.00 ए.एम. पर उपस्थित चौकी आया व पूर्व निर्देशानुसार कार्यालय हाजा का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर सम्पूर्ण हालात अवगत करवाये गये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री बलदेव राम व कानि0 प्रेमाराम के कथनों की ताईद हुई। रिकॉर्ड वार्ता से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु समस्त स्टाफ को सुबह 09.30 ए. एम. पर कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। वक्त 10.00 ए.एम. पर श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39 को दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु उप वन संरक्षक, नागौर के नाम तहरीर देकर कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर को रवाना किया गया। कुछ देर बाद श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शक्तिसिंह, जाति राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी सागू बड़ी, तहसील छोटी खाटू, जिला डीडवाना-कुचामन हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर व श्री मेवाराम पुत्र श्री दानाराम, जाति गुर्जर, उम्र 27 वर्ष, निवासी इण्डाली, तहसील नावां, जिला डीडवाना-कुचामन हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये, जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वक्त 11.25 ए.एम. पर श्री बालाराम कानि0 554 से कार्यालय आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर अखबार में

लपेट कर प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह व श्री मेवाराम मय ट्रेप दल के सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह स.उ.नि., मुकेश कुमार हैड कानि0 39, मोहनराम हैड कानि0 64, नेमीचन्द कानि0 405, बालाराम कानि0 554, राजेन्द्र झूरिया कानि0 150, प्रेमाराम कानि0 218, सुरेन्द्र सिंह कानि0 चालक व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक जरीये दो प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु पादू कलां की ओर रवाना सुदा परिवादी के बतायेनुसार डोडियाना चौराहा पहुंचे, जहां पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री बलदेव राम उपस्थित मिला। जिस पर दोनों प्राईवेट वाहनों को अलग-अलग साईड में खड़ा किया जाकर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर वक्त 01.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बलदेव राम से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपनी जेब से भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है - 5DB 835947, 3NC 457302, 4AN 812124, 3DL 760981, 5FG 368874, 9GQ 787320, 3KM 068938, 3EA 895570, 6FM 227632, 5CT 798589, 3TK 048860, 3EA 220834, 0QL 054372, 5ES 466384, 0KM 243192, 4UV 856386, 6TR 037406, 0GM 145761, 9EA 953408, 5TF 374014, 2FQ 265337, 2WP 588027, 7CG 713154, 7FC 113840, 3AR 713539, 3PT 871770, 1BE 708782, 2SU 856865, 6RN 378228, 3DL 303313, 7LD 562534, 7DC 036380, 1MC 919001, 2PP 273132, 8MU 508270, 0NH 382780, 1HQ 788182, 3RD 539997, 5BL 096390, 7BD 128570, 1CW 951477, 6ND 629126, 6HF 529526, 1RK 089132, 2AK 650603, 1RK 089133, 1PK 139648, 5KN 459569, 3FL 595356, 4BM 584449, 0DQ 755280, 4DW 891948, 9KE 855205, 7UB 561025, 9KU 152934, 4NL 662973, 9AN 437072, 3DH 341300, 4MV 721189, 4DC 158843 तत्पश्चात् प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर ट्रेप दल में शामिल श्री बालाराम कानि0 554 से प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखा फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उपर्युक्त सभी नोटों को प्राईवेट वाहन की पिछली सीट पर अखबार पर रखकर प्रक्रिया अनुसार हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री बलदेव राम की जामा तलाशी गवाह श्री मेवाराम से लिवाई गई तो कोई आपतिजनक वस्तु/राशि नही मिली। श्री बालाराम कानि0 554 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 30,000/- रूपये परिवादी श्री बलदेव राम के पहने पायजामें की दायीं जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री बलदेव राम को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नहीं करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्री बालाराम कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। उक्त डिस्पोजल गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है, उसे जलवाया जाकर श्री बालाराम कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री बलदेव राम को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के वॉयस टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री बालाराम कानि0 554 को सुपुर्द कर वापिस कार्यालय भ्र.नि. ब्यूरो, नागौर पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यों के जरीये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप-प्रिन्टर के फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा रियां तिराहा, पादू कलां के पास पहुंचे, जहां सड़क पर अलग-अलग साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आरोपी सुखराम एएसआई से मिलकर अपने कार्य से संबंधित वार्ता करने व रिश्वती लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर उसकी निजी मोटरसाईकिल से रियां तिराहा पर स्थित चाय की होटल की ओर रवाना किया जाकर उसके पिछे-पिछे श्री राजेन्द्र झूरिया कानि0 व श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक को रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराह ट्रेपदल के सदस्यों के रियां तिराहा के आस-पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात वक्त 02.30 पी.एम. पर परिवादी श्री

बलदेवराम ने ट्रेपदल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृती का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ साथ लेकर परिवादी के पास रियां तिराहा, पादू कलां पर स्थित होटल के पास पहूंची, परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, जिस पर परिवादी श्री बलदेव राम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि चाय की थड़ी के सामने कुर्सी पर वर्दी पहना आदमी श्री सुखराम ए.एस.आई. है, जिनसे मैने अभी-अभी इसी तिराहा पर स्थित होटल में मिला तथा मेरी गाड़ी के सम्बन्ध में एवं मेरे द्वारा पूर्व में दी गई राशि के बारे में बातचीत कर हमारे मध्य कल दिनांक 08.10.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई तय रिश्वत राशि 30,000/- रूपये अपनी जेब से निकाल कर दिये तो श्री सुखराम ए.एस.आई. द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर पहनी वर्दी पेन्ट की पीछे की जेब में रख लिये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के चाय की थड़ी के सामने पहूंची, तो ठीक सामने बावर्दी एक स्टार लगे हुए सहायक उप निरीक्षक, जिनकी नेम प्लेट पर सुखराम लिखा हुआ है, कुर्सी पर बैठा मिला, श्री सुखराम को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मकसद बताते हुए परिचय पूछा तो, अपना नाम सुखराम पुत्र श्री आदुराम, जाति मेघवाल, निवासी टालनपुर रामद्वारा बास, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, जिला नागौर होना बताया। जिनसे मौजूदा परिवादी श्री बलदेवराम से रिश्वती राशि प्राप्त करने व परिवादी श्री बलदेवराम के कार्य बाबत पूछने पर बताया कि परिवादी श्री बलदेवराम द्वारा पुलिस थाना पादू कलां में मुकदमा संख्या 115/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 दर्ज करवाया गया है, उक्त मुकदमें में मुल्जिम गिरफ्तार किये जाने हेतु गाडी किराये के रूप में उक्त राशि प्राप्त की है, राशि के बारे में पूछने पर बताया कि मेरे पहनी पेन्ट की पीछे की जेब में है। रिश्वत राशि आरोपी की जेब में होने की पुष्टि होने पर परिवादी के बतायेनुसार मेरे निर्देश पर श्री सुखराम, ए.एस.आई. का दायां व बांया हाथ कलाई के उपर से क्रमश कानि0 श्री प्रेमाराम कानि. व श्री भगवानसिंह, कनिष्ठ सहायक से पकड़वाये गये। (नोट - आरोपी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चाय की थड़ी पर मिलने एवं आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय परिवादी, गवाहान, ट्रेप दल के गाड़ियों में बिठाकर पुलिस थाना पादू कलां पहूंच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पादू कलां के स्वागत कक्ष में शुरू की गई।) मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बलदेवराम से रिश्वत राशि बरामदगी के पूर्व एक बार पुनः आरोपी की रिश्वत मांग व लेनदेन के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी बलदेव राम ने बताया कि मेरे द्वारा पुलिस थाना पादू कलां में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 115/2025 में मेरी गाडी बोलेरो कैम्पर बरामद करने एवं मुल्जिमों को गिरफ्तार करने की एवज में श्री सुखराम ए.एस.आई. द्वारा कुल तीन लाख रूपये रिश्वत की मांग अलग-अलग व्यक्तियों के मार्फत की जाकर मेरे से दो लाख सतर हजार रूपये श्री नेमाराम पूर्व सरपंच पादू खुर्द के जरिये ए.एस.आई. साहब द्वारा प्राप्त किये गये तथा श्री नेमाराम पूर्व सरपंच पादू खुर्द द्वारा श्री सुखराम ए.एस.आई. हेतु पच्चास हजार रूपये रिश्वत राशि अतिरिक्त मेरे से मांग की जाकर श्री सुखराम ए.एस.आई. द्वारा मेरे विरूद्ध पुलिस थाना पादूं कलां में दर्ज प्रकरण संख्या 242/2025 में जेल भेजने की बात को लेकर दबाव बनाया गया। जिस पर मैं दिनांक 08.10.2025 को श्री सुखराम ए.एस.आई. से मिलकर मेरे द्वारा अब तक दी गई रिश्वत राशि के बारे में बताया तो श्री सुखराम ए.एस.आई. ने कुल दो लाख सतर हजार रूपये बाबत् अनभिज्ञता जाहिर की तथा उन्होने स्वयं के पास साठ हजार रूपये प्राप्त होने बताये। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा श्री सुखराम ए.एस.आई. से निवेदन किया गया कि अब मै पच्चास हजार रूपये अतिरिक्त उनको नहीं दे सकता, अब जितने लेने है आपको किसी के मार्फत नहीं देकर आपको सीधा दूंगा, मेरे द्वारा रोते हुए निवेदन करने पर बताया कि कल तेरे से जो भी पच्चास, तीस बनता है लेकर मेरे पास ही आ जाना। जिस पर आज मैंने इनसे मिलकर मेरी गाड़ी रिलीज करने एवं मुझे जेल नहीं भेजने की बात की तथा पहले हुई वार्तानुसार मैने 30,000/-रूपये इनको दिये तो इन्होने अपने हाथ में लेकर पहनी पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुखराम ए.एस.आई. से परिवादी श्री बलदेवराम द्वारा बताये तथ्यों के सम्बन्ध मे पूछा गया तो पहले तो मायुस होकर इधर-उधर देखने लगा, तसल्लीपूर्वक पूछने पर बताया कि मेरे पास परिवादी बलदेवराम के साठ हजार रूपये पूर्व में प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त इनके साथ ठगी हुई है, मुझे कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। आज कुछ देर पहले बलदेवराम मेरे पास आया तथा दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत की, बलदेवराम ने इनके द्वारा दर्ज मुकदमें में मुल्जिम गिरफ्तार करने हेतु किराये के रूप में तीस हजार रूपये दिये जो मेरी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में है। रिश्वत लेने की ताईद होने पर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री मेवाराम से आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई. की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई वर्दी की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री मेवाराम से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये होना बताया जाकर मुताबिक फर्द पेशकशी होना बताया। दोनो गवाहों से उक्त सभी 500-500 रूपये के 60 नोटों के नम्बरों का मिलान पुनः पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई. से बरामद रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 60 नोटों (30,000/- रूपये) को कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। श्री सुखराम ए.एस.आई. बावर्दी है तथा पिस्टल धारित होने से पिस्टल उतरवाई जाकर, पिस्टल पुलिस थाना पादू कलां से ही आवंटित होना बताने पर पिस्टल मय राउण्ड सुरक्षित हालात में श्री श्रवणराम स.उ.नि. के मार्फत जमा करवाई गई। तत्पश्चात गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुखराम के पहनने हेतु सादा वस्त्र की व्यवस्था कर वर्दी को सम्मान पूर्वक उतरवाकर वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वर्दी पेंट को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई. से परिवादी श्री बलदेवराम द्वारा दर्ज एवं परिवादी के विरूद्ध दर्ज पत्रावलियों के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई. द्वारा दोनो ही मुकदमों की जांच स्वयं के जिम्मे होकर लम्बित होना बताकर पत्रावलियां अनुसंधान कक्ष में स्वयं टेबल पर होना बताया। जिस पर मुकदमा संख्या 115/2025 पुलिस थाना पादू कलां एवं 242/2025 पुलिस थाना पादू कलां की मूल पत्रावलियों की फोटोप्रति प्रमाणित करवाकर, प्रमाणित प्रति के प्रथम पेज व अंतिम पेज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर क्रमशः पेज सं. 01 से 36 तक व पेज सं. 01 से 18 तक कब्जा एसीबी ली गई। मूल पत्रावली श्री श्रवण कुमार, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादू कलां को सुरक्षित सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत की गई। परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री बलदेव राम एवं आरोपी श्री सुखराम ए.एस.आई. के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी। इस प्रकार आरोपी श्री सुखराम, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर द्वारा परिवादी बलदेवराम द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में गाड़ी रिलीज करने एवं मुल्जिम गिरफ्तार करने तथा परिवादी के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में परिवादी को जेल नहीं भेजने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 60000/-रूपये पूर्व में प्राप्त किया जाना स्वीकार कर परिवादी के निवेदन पर सामर्थ्यनुसार और करने की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.10.2025 को रिश्वत राशि 30,000/-रूपये रियां तिराहा, पादू कलां पर स्थित चाय की होटल के पास ग्रहण करने एवं रिश्वती राशि आरोपी सुखराम ए.एस.आई. के पहनी वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री सुखराम पुत्र श्री आदुराम, जाति मेघवाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी टालनपुर रामद्वारा बास, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से आरोपी श्री सुखराम, ए.एस.आई. को जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। उक्त बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी अलग से करवाई जाकर फर्द विडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री सुखराम एएसआई मय परिवादी श्री बलदेव राम एवं स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के जरीये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिंटर व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड तथा जब्त सुदा माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पादू कलां से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 08.10.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तीन पैन ड्राईव बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान

अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 09.10.2025 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पैन ड्राईव बनवाये गये। वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। बरामदगी कार्यवाही में करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड मोबाईल से निकालकर कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर एक पैन ड्राईव बनवाया जाकर कागज के लिफाफे में डालकर तथा मूल मैमोरी को कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर मार्क " BM" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में आरोपी से बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा भारतीय चलन मुद्रा के 30,000/- रुपये, सिल्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P-1, P-2, कपड़े की थैली में सिल्ड सुदा पेंट मार्क P, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सील्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस. एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो-दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री सुखराम हेतु एवं बरामदगी विडियोग्राफी का कपड़े की थैली में सिल्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड मार्क BM व एक कागज के लिफाफे में बन्द पैन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री बलदेवराम तथा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह व श्री मेवाराम को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर क्रमशः सकूनत व जाय तैनातगी के लिए रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया।उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री सुखराम, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री बलदेव राम द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में गाड़ी रिलीज करने एवं मुल्जिम गिरफ्तार करने तथा परिवादी के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में परिवादी को जेल नहीं भेजने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 60000/-रूपये पूर्व में प्राप्त किया जाना स्वीकार कर परिवादी के निवेदन पर सामर्थ्यनुसार और करने की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 09.10.2025 को रिश्वत राशि 30,000/-रूपये रियां तिराहा, पादू कलां पर स्थित चाय की होटल के पास ग्रहण करने एवं रिश्वती राशि आरोपी सुखराम ए.एस.आई. के पहनी वर्दी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री सुखराम पुत्र श्री आदुराम, जाति मेघवाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी टालनपुर रामद्वारा बास, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।भवदीया,एसडी/-(कल्पना सोलंकी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौर.................. कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुखराम पुत्र श्री आदुराम, जाति मेघवाल, उम्र 55 वर्ष, निवासी टालनपुर रामद्वारा बास, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना पादूंकलां, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 380 पर अंकित है (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर । क्रमांक 1512-15 दिनांक 10.10.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर क्रम संख्या-1 जोधपुर, 2. पुलिस अधीक्षक जिला नागौर 3 - पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अजमेर ।. 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो नागौर ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** NARENDRA SINGH RATHORE **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]0/2025 1[illegible]7

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)